

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 20.08.25

क्रमांक रीडर/2025/6885

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गेमराराम 2 भूराराम  
3 भगाराम 4 केवलाराम  
पिसरान राणाराम 5  
धुडी पत्ति राणाराम 6  
तुलछाराम 7 नारणाराम  
पिसरान पोकरराम  
जाति मेघवाल निवासी  
सेजूओं की ढाणी,  
विशाला आगोर तहसील  
व जिला बाड़मेर।

1 बाबूलाल 2 दीपाराम पिसरान शोभाराम 3 गोरधनराम  
पुत्र मानाराम 4 कुम्भाराम पुत्र नगाराम 5 जीयाराम पुत्र  
अलूराम 6 जैसलाराम पुत्र नगाराम 7 मासिंगाराम पुत्र  
वभूताराम 8 चिमाराम पुत्र अलूराम 9 नेताराम पुत्र सोमाराम  
जातियान मेघवाल 10 रीजूराम 11 देवाराम पिसरान  
मंगलाराम 12 मांगाराम पुत्र कुचटाराम जातियान दर्जी 13  
भगाराम 14 गोमदाराम पिसरान मूलाराम 15 कंवराराम पुत्र  
रूपाराम 16 हेमाराम पुत्र बुधाराम 17 शंकराराम पुत्र  
नेताराम 18 मोहन पुत्र बालाराम जातियान जाट 19  
लीलाराम पुत्र धन्नाराम 20 पूंजाराम 21 धन्नाराम पिसरान  
खेमाराम जातियान मोचि निवासीयान विशाला आगोर  
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 380/2019

दिनांक-31/07/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सेजूओं की ढाणी पटवार हल्का विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 153 रकबा 70.10 बीघा, खसरा संख्या 788/176 रकबा 10.07 बीघा, खसरा संख्या 790/178 रकबा 12.15 बिघा व मौजा विशाला आगोर पटवार हल्का विशाला तहसील व जिला बाड़मेर खसरा संख्या 1 रकबा 132 बीघा व खसरा संख्या 232 रकबा 142 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/6886-89

दिनांक- 20.08.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गेमराराम पुत्र राणाराम जाति मेघवाल निवासी सेजूओं की ढाणी, विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण बाबूलाल पुत्र शोभाराम जातियान मेघवाल निवासीयान विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर